

अवैध प्लाटिंग पर चला निगम का बुलडोजर, कुरुद क्षेत्र में हुई कार्यवाही, कुरुद के दो स्थानों पर हुई कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 16 कुरुद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध प्लाटिंग एवं रास्ता निर्माण के विरुद्ध आज कार्यवाही की गई। जोन क्रमांक 02 क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लाटिंग व अनाधिकृत रूप से रास्ता निर्माण, प्लाटिंग के लिए लगाए गए खुटे व मुरुम से बनाए गए मार्ग संरचना को जेसीबी से हटाया गया। मौके से 01 ट्रिप मुरुम जप्त किया गया। निगम भिलाई द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्व भी कुरुद क्षेत्र में इसी प्रकार की अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्यवाही की गई थी। निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं, आयुक्त के निर्देश के पालन में जोन आयुक्त जोन क्रमांक दो पूजा पिल्ले द्वारा आज लोहिया रोड कुरुद क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए मार्ग संरचना तथा बगैर परमिशन बनाए जा रहे अवैध प्लाटिंग को हटाने की कार्यवाही की गई है। सीएम कॉलेज रोड में भी हुई कार्यवाही कुरुद क्षेत्र के ही सीएम कॉलेज रोड में 15 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था, जिनमें 90 खुटे लगे हुए थे, इन सभी को निगम की जेसीबी ने तोड़ने की कार्यवाही की और मार्ग संरचना को जगह-जगह से हटाया ताकि आवागमन न हो सके! अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग में बेदखली की कार्यवाही के दौरान जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 2 पूजा पिल्ले, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, उपअभियंता पुरुषोत्तम सिन्हा, सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा, जोन 2 स्वा.प्रभारी अनिल मिश्रा मौके पर मौजूद रहे।

